सं0 एनएस-एमआईएससीओओटीएचआर/26/2024-एनपीसीएस(आरएनआई)
भारत सरकार
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत के प्रेस महापंजीयक का कार्यालय
9 वां तल, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
http://www.prgi.gov.in

दिनांक: 17 दिसंबर, 2025

2025 की परामर्शिका सं० 49

विषय: पीआरबी अधिनियम, 1867 के अंतर्गत सत्यापित किए गए शीर्षकों वाले नियतकालिक पत्रिकाओं के पंजीकरण के संबंध में प्रकाशकों के लिए सार्वजनिक सूचना।

उन प्रकाशकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिन्होंने प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2023, जो **01.03.2024** की प्रभावी तिथि से प्रवृत्त हुआ था, के लागू होने से पूर्व नियतकालिक पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिए आवेदन किया था।

इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि ऐसे आवेदन जिनके **शीर्षक सत्यापित किए गए थे** किंतु प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1867 के उपबंधों के तहत **पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया था**, के संदर्भ में यह अपेक्षित है कि उनके सत्यापित शीर्षकों के प्रति पंजीकरण प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए **31 दिसंबर, 2025** से **पूर्व प्रेस सेवा पोर्टल** के माध्यम से एक नया आवेदन प्रस्तुत करें।

इस संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि ऐसे सभी शीर्षकों, जिनके लिए पूर्व में सत्यापन किया गया था किंतु कोई पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था, को **01 जनवरी, 2026** से डी-ब्लॉक कर दिया जाएगा और उन्हें अन्य आवेदकों को पंजीकरण के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा।

इस परामर्शिका को भारत के प्रेस महापंजीयक के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(रजित चंद्रन एम.आर.)
उप प्रेस महापंजीयक